भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5322
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

मलेरकोटला और संगरूर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना

5322. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मलेरकोटला और संगरूर जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, विशेषकर सब्जियों और अनाज के लिए, बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं क्योंकि पर्याप्त खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण फसल कटाई के उपरांत नुकसान होता है और लाभप्रदता में कमी आती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त जिलों में विशेषकर सब्जियों और अनाज के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या किसानों और उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए कोई योजना या प्रोत्साहन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन जिलों में शीतागार, अनाज साइलो और प्रसंस्करण केंद्रों के लिए विशिष्ट स्थानों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मलेरकोटला और संगरूर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार संपर्क के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों के साथ सहयोग करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन जिलों में किसानों के लिए फसल कटाई के उपरांत नुकसान को कम करने तथा मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ज) क्या इन चुनौतियों के संबंध में स्थानीय हितधारकों के साथ कोई अध्ययन या परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (छ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पंजाब के मलेरकोटला तथा संगरूर जिले सहित पूरे देश में सब्जियों और अनाज के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संवर्धन एवं समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा इसके समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने में सहायता करने के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को लागू कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशेष पर आधारित नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और पूरे देश में लागू की जाती हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अभी तक, 28 फरवरी , 2025 तक , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पंजाब में पीएमकेएसवाई

की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 51 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2 परियोजनाएं संगरूर जिले में स्थित हैं।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है। पंजाब में पीएमएफएमई योजना के तहत 28 फरवरी, 2025 तक कुल 2,606 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई जिसमें से 80 और 252 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई क्रमश: मलेरकोटला और संगरूर जिलों में स्थित हैं ।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चालू है । अब तक पंजाब में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत 28 फरवरी, 2025 तक सहायता के लिए 9 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्य संवर्धन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और भारी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज की बर्बादी कम हो, फ़सलोत्तर नुकसान में कमी आए, उत्पादकता बढ़े और प्रसंस्करण स्तर बढ़े।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना, पंजाब के मलेरकोटला और संगरूर जिलों सहित देश के किसानों को लाभ पहुंचाना और उनके उत्पादों की कीमत तथा आय में वृद्धि करना है ।

पीएमएफएमई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाया गया है ताकि आदनों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ओडीओपी की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद का विकारी होना आदि के आधार पर की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई)" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, ताकि घरेलू उद्योग को प्रदर्शित किया जा सके और इसे अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग के अवसर प्रदान किए जा सकें। यह कार्यक्रम वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, इनोवेटर्स, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान किए। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति पर प्रकाश डालने के लिए डब्ल्यूएफआई, 2025 का भी आयोजन कर रहा है।

(ज): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने चिह्नित क्लस्टरों में 11 फसलों के लिए विकारी उत्पादों के लिए संभावित मूल्य श्रृंखलाओं के विकास हेतु "अवसंरचनाऔर प्रसंस्करण सुविधाओं में अंतराल की पहचान के लिए मूल्यांकन अध्ययन" से संबंधित एक अध्ययन किया है । इसके निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "मलेरकोटला और संगरूर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5322 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना लागत के 50%की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]	पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अध्यधीन]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडएलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा स्टैंडएलोन फ़सलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 70% की दर से अनुदान सहायता।

6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% की दर से अनुदान।

पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत उपलब्ध सहायता

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और विपणन पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये , जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *बीज पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से बीज पूंजी दी जाएगी , जो कि स्वयं सहायता समूहों के संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****

अनुबंध-II

"दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "मलेरकोटला और संगरूर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5322 के भाग (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अवसंरचनाऔर प्रसंस्करण सुविधाओं में अंतराल की पहचान के लिए मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण

फसल	कलस्टर	अपर्याप्त अवसंरचना
आंध्र प्रदेश		
केला	क्लस्टर-1- अनंतपुरमु और कडपा (वाईएसआर)	चिप्स/आटा इकाई/प्यूरी/मूल्य संवर्धन इकाई के लिए राइपेनिंग चैंबर, रीफर वैन और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं सहित एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2- पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापत्तनम और विजयनगरम	
आम	क्लस्टर-1- अनंतपुरमु, चित्तूर और कडपा (वाईएसआर)	प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन, रीफर वैन और कंसन्ट्रेट सुविधा के साथ एसेप्टिक पल्प लाइन की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं/आरटीएसबी पैकिंग लाइन/आईक्यूएफ यूनिट/ब्लास्ट फ्रीजिंग यूनिट के साथ एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2- कृष्णा	
श्रीम्प	क्लस्टर-1- पूर्वी गोदावरी, कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी	एक्स-रे विजन ग्रेडर्स और पैकर के साथ स्वचालित ग्रेडिंग, वजन और पैकिंग, मूल्य संवर्धन सुविधा (ब्रेडेड झींगा प्रसंस्करण और मैरिनेटेड झींगा प्रसंस्करण)
असम		
अनानास	क्लस्टर-1-दीमा हसाओ, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, कामरूप और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग	प्री कूलिंग, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन, रेफरर वैन और कैनिंग लाइन के साथ एकीकृत पैक हाउस
बिहार		
अमरूद	क्लस्टर-1- मुजफ्फरपुर, नालंदा और पटना	कोल्ड स्टोरेज के साथ एकीकृत पैक हाउस और सांद्र सुविधा/आरटीएसबी पैकिंग लाइन के साथ एसेटिक पल्प लाइन की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा
लीची	क्लस्टर-1- मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढी और वैशाली,	सल्फ़िटेशन चैंबर/एसिड डिप चैंबर के साथ एकीकृत पैक हाउस और पल्पिंग, कैनिंग और बॉटलिंग यूनिट सुविधा की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा/आरटीएसबी पैकिंग लाइन/फ्रोजन पल्प के लिए डीशेलिंग और डीसीडिंग मशीन के साथ ब्लास्ट फ़्रीज़िंग यूनिट
गुजरात		
केला	क्लस्टर-1- आनंद, भरूच, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत और वडोदरा	चिप्स/आटा इकाई/प्यूरी/मूल्य संवर्धन इकाई के लिए राइपेनिंग चैंबर, रीफर वैन और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं सहित एकीकृत पैक हाउस
आम	क्लस्टर-1- नवसारी और वलसाड	प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन, रीफर वैन और कंसन्ट्रेट सुविधा के साथ एसेप्टिक पल्प लाइन की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं /आरटीएसबी पैकिंग लाइन/आईक्यूएफ यूनिट/ब्लास्ट फ्रीजिंग यूनिट के साथ एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2- जूनागढ़ और राजकोट	

अनार	क्लस्टर-1- बनासकांठा और कच्छ	रीफर वैन के साथ एकीकृत पैक हाउस और जूस लाइन / फ्रोजन एरिल यूनिट / फ्रेश एरिल यूनिट की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा
हिमाचल प्रदेश		
सेब	क्लस्टर-1- किन्नौर, कुल्लू और शिमला	सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन के साथ एकीकृत पैक हाउस, ऑप्टिकल ग्रेडर के साथ सीए स्टोर, रीफर वैन और सेकेंडरी प्रोसेसिंग जूस कंसन्ट्रेट लाइन
जम्मू और कश्मीर		
सेब	क्लस्टर-1- अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां	सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन के साथ एकीकृत पैक हाउस, ऑप्टिकल ग्रेडर के साथ सीए स्टोर, रीफर वैन और सेकेंडरी प्रोसेसिंग जूस कंसन्ट्रेट लाइन
मध्य प्रदेश		
आंवला	क्लस्टर-1- छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा, शहडोल और सीधी	जूस, मुरब्बा, पाउडर, कैंडी के एकीकृत पैक हाउस और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाएं
अमरूद	क्लस्टर-1- धार, इंदौर और खरगोन	कोल्ड स्टोरेज के साथ एकीकृत पैक हाउस और कन्सन्ट्रेट सुविधा के साथ एसेटिक पल्प लाइन की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा/आरटीएसबी पैकिंग लाइन
	क्लस्टर-2- भोपाल, सीहोर और विदिशा	
	क्लस्टर-3- ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर	
संतरा / मंदारिन / किन्नू	क्लस्टर-1- आगर मालवा, राजगढ़ और शाजापुर	जूस कंसन्ट्रेट/पल्प प्रसंस्करण/तृतीयक इकाई (पेक्टिन और साइट्रस पील ऑयल) की एकीकृत पैक हाउस और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा
महाराष्ट्र		
केला	क्लस्टर-1- जलगांव	चिप्स/आटा इकाई/प्यूरी/मूल्य संवर्धन इकाई के लिए राइपेनिंग चैंबर, रीफर वैन और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं सहित एकीकृत पैक हाउस
अंगूर	क्लस्टर-1- नासिक और पुणे	शीत भण्डारण और सुखाने की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा सहित एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2- सांगली और सोलापुर	
आम	क्लस्टर-1- रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग	प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन, रीफर वैन और कंसन्ट्रेट सुविधा के साथ एसेप्टिक पल्प लाइन की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं/आरटीएसबी पैकिंग लाइन/आईक्यूएफ यूनिट/ब्लास्ट फ्रीजिंग यूनिट के साथ एकीकृत पैक हाउस
संतरा / मंदारिन / किन्नू	क्लस्टर-1- अकोला, अमरावती और नागपुर	जूस कंसन्ट्रेट/पल्प प्रसंस्करण/तृतीयक इकाई (पेक्टिन और साइट्रस पील ऑयल) की एकीकृत पैक हाउस और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा
अनार	क्लस्टर-1- अहमदनगर, नासिक और पुणे	रीफर वैन के साथ एकीकृत पैक हाउस और जूस लाइन / फ्रोजन एरिल यूनिट / फ्रेश एरिल यूनिट की द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा
	क्लस्टर-2- सांगली और सोलापुर	
मेघालय		
अनानास	क्लस्टर-1- री भोज	प्री कूलिंग, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन, रेफरर वैन और कैनिंग लाइन के साथ एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2 - पूर्वी गारो हिल्स और पश्चिमी गारो हिल्स	
पंजाब		

संतरा / मंदारिन / किन्नू	**क्लस्टर-1- बठिंडा, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब**	**जूस कंसन्ट्रेट/पल्प प्रसंस्करण/तृतीयक इकाई (पेक्टिन और साइट्रस पील ऑयल) की एकीकृत पैक हाउस और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा**
राजस्थान		
संतरा / मंदारिन / किन्नू	क्लस्टर-1-झालावाड़	जूस कंसन्ट्रेट/पल्प प्रसंस्करण/तृतीयक इकाई (पेक्टिन और साइट्रस पील ऑयल) की एकीकृत पैक हाउस और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा
तमिलनाडु		
आंवला	क्लस्टर-1- डिंडीगुल, थेनी और तिरुनेलवेली	जूस, मुरब्बा, पाउडर, कैंडी के एकीकृत पैक हाउस और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाएं
केला	क्लस्टर-1- कोयम्बटूर और इरोड	चिप्स/आटा इकाई/प्यूरी/मूल्य संवर्धन इकाई के लिए राइपेनिंग चैंबर, रीफर वैन और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधाओं सहित एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2- मदुरै, थेनी और थूथुकुडी	
त्रिपुरा		
अनानास	क्लस्टर-1- धलाई और उत्तरी त्रिपुरा	प्री कूलिंग, सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/पैकिंग लाइन, रेफरर वैन और कैनिंग लाइन के साथ एकीकृत पैक हाउस
उत्तर प्रदेश		
आंवला	क्लस्टर-1- प्रतापगढ़, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट	i. जूस, मुरब्बा और अन्य के कोल्ड स्टोरेज और द्वितीयक प्रसंस्करण सुविधा के साथ एकीकृत पैक हाउस
केला	क्लस्टर-1-गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज	i. राइपेनिंग चैंबर, चिप्स/आटा इकाई और प्रशीतित वाहन के साथ पैक हाउस/संग्रह केंद्र; तथा ii. प्यूरी यूनिट
	क्लस्टर-2-फतेहपुर, कौशांबी	
अमरूद	क्लस्टर-1-बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, एटा	i. मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज, सेकेंडरी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ पैक हाउस [एकीकृत पल्पिंग यूनिट, जेली और अन्य]
आम	क्लस्टर-1-लखनऊ,उन्नाव,सीतापुर	i. प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन और सेकेंडरी प्रोसेसिंग सुविधा (एसेप्टिक/कैनिंग लाइन) के साथ एकीकृत पैक हाउस
	क्लस्टर-2-सहारनपुर, बिजनोर, मेरठ, अमरोहा, बुलन्दशहर	
पश्चिम बंगाल		
अनानास	क्लस्टर-1-दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी	जूस पीईटी बोतल पैकिंग लाइन

*****